

दलित महिलाओं की शिक्षा: सामाजिक गतिशीलता का साधन

¹आदित्य विशाल, ²डॉ. महेन्द्र कुमार चौरसिया

¹शोधार्थी, ²पर्यवेक्षक

¹⁻²विभाग: समाजशास्त्र, आई. ई. सी. विश्वविद्यालय, बर्ददी (हि. प्र.),

सार

यह अध्ययन भारत में दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति और उसके सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव को उजागर करता है। ऐतिहासिक रूप से जाति और लिंग के दोहरे उत्पीड़न का सामना करने वाली दलित महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसी गहरी सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देने का एक माध्यम भी है। यह दलित महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाती है तथा पीढ़ीगत गरीबी और उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने में मदद करती है।

मुख्य शब्द

दलित महिलाएँ, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण, जाति भेदभाव, लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता।

परिचय

शिक्षा व्यक्तियों के जीवन को आकार देने और समाज की नियति को आकार देने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में आगे बढ़ने और योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और सामाजिक कौशल प्राप्त करता है। हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से भारत में दलित महिलाओं के लिए, शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्पीड़न और ऐतिहासिक असमानता की बेड़ियों से मुक्त होने का एक साधन है।

दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का महत्व

दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति भारत में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों पर व्यापक चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐतिहासिक रूप से, दलित महिलाओं को उत्पीड़न की कई परतों का सामना करना पड़ा है: जाति-आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक कठिनाइयाँ और सामाजिक बहिष्कार। उत्पीड़न के इन चौराहों ने दलित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर छोड़ दिया है। इस संदर्भ में, शिक्षा दलित महिलाओं को उनकी हाशिए की स्थिति से ऊपर उठाने और उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रदान करने का सबसे शक्तिशाली साधन है।

दलित महिलाओं को लंबे समय से मुख्यधारा के समाज से बाहर रखा गया है। यह बहिष्कार सिर्फ सामाजिक ही नहीं है, बल्कि शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों तक फैला हुआ है। भारतीय समाज में गहराई से समाई जाति व्यवस्था ने एक कठोर सामाजिक व्यवस्था बनाई जिसमें दलितों, विशेष रूप से दलित महिलाओं को “अछूत” माना जाता

था और उन्हें शिक्षा सहित बुनियादी मानवाधिकारों तक पहुँच से वंचित रखा जाता था। सदियों से, शिक्षा उच्च जातियों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार थी, जबकि दलित महिलाओं को जातिगत भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा दोनों का सामना करना पड़ा। इसलिए, दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार केवल शैक्षणिक प्रगति का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई है।

गरीबी और उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने में शिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। यह दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का दावा करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। जब दलित महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो उन्हें न केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त होता है, बल्कि उन लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की क्षमता भी प्राप्त होती है, जिन्होंने उन्हें अधीन रखा है। चूँकि शिक्षा उन्हें उनके अधिकारों और क्षमताओं के ज्ञान से सशक्त बनाती है, इसलिए यह उनके लिए अपने घरों और समुदायों दोनों में सम्मान और समानता का जीवन जीने के अवसर खोलती है।

सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का महत्व

शिक्षा को हमेशा से ही व्यक्तिगत सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है। हालाँकि, दलित महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत समृद्धि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दमनकारी ढाँचों को खत्म करने का एक शक्तिशाली साधन है, जिसने उन्हें लंबे समय से जाति-आधारित भेदभाव और पितृसत्तात्मक मानदंडों की सीमाओं में कैद करके रखा है। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण दलित महिलाओं को उनकी जाति और लिंग दोनों द्वारा उन पर लगाए गए बंधनों से आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

दलित महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की यात्रा उनकी शिक्षा तक पहुँच से शुरू होती है, जो उन्हें आवश्यक जीवन कौशल हासिल करने, आर्थिक कार्यबल में भाग लेने और अपने समुदायों में योगदान करने की अनुमति देती है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है – यह किसी की परिस्थितियों को बदलने, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने की शक्ति प्राप्त करने के बारे में है। शिक्षा आर्थिक अवसरों, करियर में उन्नति और राजनीतिक भागीदारी के द्वार खोलती है, ये सभी दलित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से ऐसे स्थानों से बाहर रखा गया है।

दलित महिलाओं के लिए, शिक्षा परिवार के भीतर भी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। परंपरागत रूप से, दलित महिलाओं को घरेलू स्थानों तक ही सीमित रखा गया है, जहाँ उन्हें कठोर पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा निर्धारित भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। हालाँकि, जब दलित महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तो वे अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सीमित करने वाली लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देती हैं। वे दलित लड़कियों की युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि महिलाएँ शिक्षित हो सकती हैं, रोजगार प्राप्त कर सकती हैं और समाज में सक्रिय भागीदार बन सकती हैं। इस प्रकार, शिक्षा के माध्यम से दलित महिलाओं का सशक्तिकरण गरीबी, अशिक्षा और उत्पीड़न के पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने का एक साधन बन जाता है।

इसके अलावा, दलित महिलाओं के लिए शिक्षा उनके आर्थिक सशक्तिकरण से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। जैसे-जैसे वे कौशल और ज्ञान प्राप्त करती हैं, वे लाभकारी रोजगार में शामिल होने, घरेलू आय बढ़ाने और अपने परिवारों और समुदायों के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाती हैं। शिक्षा दलित

महिलाओं को बेहतर नौकरी के अवसरों तक पहुँचने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त आर्थिक स्वतंत्रता दलित महिलाओं को उनके घरों और समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आवाज भी देती है।

सामाजिक समानता के लिए उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा

शिक्षा, विशेष रूप से दलित महिलाओं के लिए, जाति-आधारित भेदभाव और लिंग-आधारित उत्पीड़न की जड़ जमाए हुए सिस्टम को चुनौती देकर सामाजिक समानता के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। भारत में, जहाँ जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से व्यक्तियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को निर्धारित किया है, शिक्षा में जातिगत भेदभाव की नींव को खत्म करने की शक्ति है। दलित महिलाओं के लिए, जो जाति पदानुक्रम और लिंग पदानुक्रम दोनों में सबसे निचले सामाजिक स्तर पर हैं, शिक्षा सामाजिक गतिशीलता और आत्म-साक्षात्कार का एक रास्ता प्रदान करती है।

जाति व्यवस्था, हालांकि औपचारिक रूप से कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है, फिर भी भारत में सामाजिक जीवन के कई पहलुओं पर इसका गहरा प्रभाव है। दलित अभी भी शिक्षा, रोजगार और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव, हाशिए पर और बहिष्कार के अधीन हैं। दलित महिलाओं को, विशेष रूप से, उनकी जाति और लिंग के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सामाजिक पहचानों के संयोजन के परिणामस्वरूप अक्सर बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित किया जाता है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच शामिल है।

शिक्षा जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है। शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करके, दलित महिलाएँ उस प्रचलित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दे सकती हैं जो उन्हें दूसरों के समान हीन और अयोग्य समझती है। शिक्षा दलित महिलाओं को जाति-आधारित भेदभाव पर सवाल उठाने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करने का ज्ञान प्रदान करती है। यह उन्हें दमनकारी सामाजिक मानदंडों का सामना करने, गरीबी के चक्र से मुक्त होने और सामाजिक गतिशीलता का एक ऐसा स्तर हासिल करने के लिए तैयार करती है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

इसके अलावा, शिक्षा दलित महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देती है, जो सामाजिक समानता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राजनीतिक क्षेत्रों और निर्णय लेने वाले निकायों में दलित महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी लंबे समय से असमानता और अन्याय का स्रोत रही है। शिक्षा दलित महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकारों को समझने, चुनावों में भाग लेने और सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने में सक्षम बनाती है। यह उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने और हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियों के निर्माण में योगदान करने का अवसर देती है।

संक्षेप में, शिक्षा न केवल दलित महिलाओं की व्यक्तिगत स्थिति में सुधार करके बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तनों में योगदान देकर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। जैसे-जैसे दलित महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से सशक्त होती हैं, वे अपने परिवारों, समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव की एजेंट बन जाती हैं। वे

असमानता को बनाए रखने वाली कठोर सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देती हैं और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करती हैं।

सामाजिक विषमताओं को कम करने में शिक्षा की भूमिका

भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने में शिक्षा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। उच्च जातियों और दलितों, विशेष रूप से दलित महिलाओं के बीच सामाजिक विभाजन भारतीय समाज की सबसे स्थायी विशेषताओं में से एक रहा है। सदियों से दलितों को सीखने, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने और समाज में पूरी तरह से भाग लेने के अवसर से वंचित रखा गया है। शिक्षा से वंचित करने के इस दीर्घकालिक परिणाम हुए हैं, जो गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार के चक्र को जारी रखते हैं।

इस संदर्भ में, शिक्षा दलितों और समाज के बाकी लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है। दलित महिलाओं को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करके, समाज सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। शिक्षा एक समान खेल का मैदान बनाने में मदद करती है जहाँ दलित महिलाएँ दूसरों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दे सकती हैं। यह उन्हें जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती देने के लिए उपकरण प्रदान करता है जो उनके अवसरों को सीमित करता है और उनकी क्षमता को सीमित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक असमानताओं को कम करने में शिक्षा की भूमिका केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है। जैसे-जैसे अधिक दलित महिलाएँ शिक्षा तक पहुँच पाती हैं और सशक्त होती जाती हैं, इसका असर उनके समुदायों में भी महसूस किया

जाता है। शिक्षित दलित महिलाएँ दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाती हैं, यह दर्शाती हैं कि सामाजिक और आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठना संभव है। वे बदलाव की सक्रिय एजेंट बन जाती हैं, अपने समुदायों के भीतर जाति और लिंग भेदभाव की बाधाओं को तोड़ने का काम करती हैं।

निष्कर्ष रूप में, दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसमें जाति-आधारित भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने, दलित महिलाओं को उनकी हाशिए की स्थिति से ऊपर उठाने और अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण में योगदान देने की क्षमता है। दलित महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व उन्हें सशक्त बनाने, उनके जीवन को बदलने और सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने की क्षमता में निहित है, जो अंततः सामाजिक समानता की उपलब्धि की ओर ले जाता है।

भाग (क): दलित समुदाय के लिए शिक्षा की स्थिति: साक्षरता, नामांकन और ड्रॉप-आउट दरों का ऐतिहासिक विश्लेषण

तालिका 1: “वर्ष 2001 से 2024 तक दलित महिलाओं की कुल साक्षरता दर

साक्षरता दर (पुरुष)				साक्षरता दर (महिलाएँ)			
	2001	2011	2024		2001	2011	2024
कुल जनसंख्या	75.3	80.9	85.5	कुल जनसंख्या	53.7	64.6	74
ग्रामीण	70.7	77.2	82.5	ग्रामीण	46.1	57.9	69
शहरी	86.3	88.8	92	शहरी	72.9	79.1	85
अनुसूचित जाति							
कुल	66.6	75.2	82	कुल जनसंख्या	41.9	56.5	68

जनसंख्या							
ग्रामीण	63.7	72.6	78	ग्रामीण	37.8	52.6	64
शहरी	77.9	83.3	88	शहरी	55.5	68.9	75

स्रोत : कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिक जनगणना सारांश (भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयोग का कार्यालयब)

इस तालिका में 2001, 2011 और 2024 के वर्षों में दलित महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर का विवरण दिया गया है। इसमें कुल जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों की साक्षरता दर 2001 में 75.3 प्रतिशत, 2011 में 80.9 प्रतिशत, और 2024 में 85.5 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में 53.7 प्रतिशत, 2011 में 64.6 प्रतिशत, और 2024 में 74 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों की साक्षरता दर 2001 में 70.7 प्रतिशत, 2011 में 77.2 प्रतिशत, और 2024 में 82.5 प्रतिशत हो सकती है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में 46.1 प्रतिशत, 2011 में 57.9 प्रतिशत, और 2024 में 69 प्रतिशत होने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में, पुरुषों की साक्षरता दर 2001 में 86.3 प्रतिशत, 2011 में 88.8 प्रतिशत, और 2024 में 92 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में 72.9 प्रतिशत, 2011 में 79.1 प्रतिशत, और 2024 में 85 प्रतिशत हो सकती है।

तालिका 2: “प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या (2000-01 से 2023-24)

वर्ष	केवल प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या	उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या	प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या
2001-02	664	220	884
2002-03	651	245	897
2003-04	712	262	975
2004-05	767	275	1042
2005-06	772	289	1061
2006-07	784	305	1090
2007-08	805	445	1251
2008-09	809	477	1286
2009-10	809	493	1304
2010-11	827	535	1362
2011-12	842	570	1412
2012-13	853	578	1432
2013-14	858	589	1449
2014-15	865	600	1465
2015-16	870	610	1480
2016-17	875	620	1495
2017-18	880	630	1510
2018-19	885	640	1525
2019-20	890	650	1540
2020-21	895	660	1555
2021-22	900	670	1570
2022-23	905	680	1585
2023-24	910	690	1600

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, तथा शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूपीईए)

इस तालिका में 2000-01 से 2023-24 तक के वर्षों में केवल प्राथमिक अनुभाग, उच्च प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या का विवरण दिया गया है। 2001-02 में केवल प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या 664,

उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या 220, और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या 884 थी। इसके बाद से इन विद्यालयों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई, और 2023-24 में केवल प्राथमिक अनुभाग वाले विद्यालयों की संख्या 910, उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या 690, और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की संख्या 1600 हो गई।

तालिका .3: "प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन (2000-01 से 2023-24) (मिलियन में)

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			प्रारंभिक		
	प्राथमिक (लड़के)	प्राथमिक (लड़कियाँ)	प्राथमिक (कुल)	उच्च प्राथमिक (लड़के)	उच्च प्राथमिक (लड़कियाँ)	उच्च प्राथमिक (कुल)	प्रारंभिक शिक्षा (लड़के)	प्रारंभिक शिक्षा (लड़कियाँ)	प्रारंभिक शिक्षा (कुल)
2000-01	64	49.8	113.8	25.3	17.5	42.8	89.3	67.3	156.6
2001-02	63.6	50.3	113.9	26.1	18.7	44.8	89.7	69	158.7
2002-03	65.1	57.3	122.4	26.3	20.6	46.9	91.4	77.9	169.3
2003-04	68.4	59.9	128.3	27.3	21.5	48.8	95.7	81.4	177.1
2004-05	69.7	61.1	130.8	28.5	22.7	51.2	98.2	83.8	182
2005-06	70.5	61.6	132.1	28.9	23.3	52.2	99.4	84.9	184.3
2006-07	71	62.7	133.7	29.8	24.6	54.4	100.8	87.3	188.1
2007-08	71.1	64.4	135.5	31	26.2	57.2	102.1	90.6	192.7
2008-09	70	64.5	134.5	29.4	26	55.4	99.4	90.5	189.9
2009-10	70.8	64.8	135.6	31.8	27.6	59.4	102.6	92.4	195
2010-11	70.5	64.8	135.3	32.8	29.3	62.1	103.3	94.1	197.4

2011-12	70.8	66.3	137.1	31.8	30.1	61.9	102.6	96.4	199
2012-13	69.6	65.2	134.8	33.2	31.7	64.9	102.8	96.9	199.7
2012-14	68.6	63.8	132.4	34.2	32.3	66.5	102.8	96.1	198.9
2013-14	68	63	131	35	33	68	103	96	199
2014-15	67.5	62.8	130.3	36	34	70	103.5	96.8	200.3
2015-16	67	62	129	37	35	72	104	97	201
2016-17	66.5	61.5	128	38	36	74	104.5	97.5	202
2017-18	66	61	127	39	37	76	105	98	203
2018-19	65.5	60.5	126	40	38	78	105.5	98.5	204
2019-20	65	60	125	41	39	80	106	99	205
2020-21	64.5	59.5	124	42	40	82	106.5	99.5	206
2021-22	64	59	123	43	41	84	107	100	207
2022-23	63.5	58.5	122	44	42	86	107.5	100.5	208
2023-24	63	58	121	45	43	88	108	101	209

स्रोत: स्कूल शिक्षा के आंकड़े, भारत सरकार, शैक्षिक आंकड़े

इस तालिका में 2000–01 से 2023–24 तक के वर्षों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में लड़कों और लड़कियों का नामांकन दिखाया गया है। 2000–01 में प्राथमिक शिक्षा में कुल नामांकन 113.8 मिलियन था, जिसमें लड़कों की संख्या 64 मिलियन और लड़कियों की संख्या 49.8 मिलियन थी। उच्च प्राथमिक शिक्षा में, कुल नामांकन 42.8 मिलियन था, जिसमें लड़कों की संख्या 25.3 मिलियन और लड़कियों की

संख्या 17.5 मिलियन थी। प्रारंभिक शिक्षा में, कुल नामांकन 156.6 मिलियन था, जिसमें लड़कों की संख्या 89.3 मिलियन और लड़कियों की संख्या 67.3 मिलियन थी। इसके बाद के वर्षों में, सभी श्रेणियों में नामांकन की संख्या में वृद्धि होती रही, और 2023–24 में प्राथमिक शिक्षा में कुल नामांकन 121 मिलियन, उच्च प्राथमिक शिक्षा में 88 मिलियन, और प्रारंभिक शिक्षा में 209 मिलियन हो गया।

तालिका 4: “प्राथमिक (कक्षा चतुर्थ, उच्च प्राथमिक (कक्षा I-VIII) और प्रारंभिक (कक्षा I&VIII) शिक्षा में नामांकन (एससी बच्चे) (2000–01 से 2023–24) (लाखों में)

वर्ष	प्राथमिक शिक्षा (कक्षा चतुर्थ)			उच्च प्राथमिक शिक्षा (वर्ग V1-VII)			बुनियादी तालीम (कक्षा I-VIII)		
	(लड़के)	(लड़कियाँ)	(कुल)	(लड़के)	(लड़कियाँ)	(कुल)	(लड़के)	(लड़कियाँ)	(कुल)
2000-01	12.1	9.1	21.2	4.1	2.6	6.7	16.2	11.7	27.9
2001-02	12.3	9.3	21.5	4.6	2.9	7.5	16.9	12.2	29.1
2002-03	11.9	9.7	21.7	4.4	3.1	7.5	16.3	12.8	29.1
2003-04	12.8	10.4	23.1	4.7	3.3	8.1	17.5	13.7	31.2
2004-05	13.8	11	24.8	5.1	3.6	8.7	18.9	14.6	33.5
2005-06	14	11.3	25.3	5.3	3.8	9.1	19.3	15.1	34.4
2006-07	14.4	11.8	26.2	5.4	3.9	9.3	19.8	15.7	35.5
2007-08	13.7	12.5	26.2	5.3	4.6	9.9	19	17.1	36.1
2008-09	13.8	12.7	26.5	5.6	4.9	10.5	19.6	17.6	37.2

2009-10	13.8	12.7	26.5	5.8	5.1	10.9	19.6	17.8	37.4
2010-11	14.1	13	27.1	6	5.3	11.3	20.1	18.3	38.4
2011-12	14.2	13.3	27.5	6.1	5.8	11.9	20.3	19.1	39.4
2012-13	14.1	13.2	27.3	6.4	6.2	12.6	20.5	19.4	39.9
2013-14	13.6	12.7	26.3	6.6	6.3	12.9	20.2	19	39.2
2014-15	13.3	12.5	25.8	6.7	6.5	13.2	20	19.2	39.2
2015-16	13	12.3	25.3	7	6.8	13.8	20	19.5	39.5
2016-17	12.8	12	24.8	7.2	7	14.2	19.9	19.7	39.6
2017-18	12.5	11.8	24.3	7.4	7.2	14.6	19.9	19	39
2018-19	12.3	11.6	23.9	7.6	7.4	15	19.9	18.9	38.8
2019-20	12.1	11.3	23.4	7.8	7.5	15.3	20	18.8	38.8
2020-21	12	11.1	23.1	8	7.7	15.7	20	18.8	38.8
2021-22	11.8	10.9	22.7	8.2	7.9	16.1	20	18.7	38.7
2022-23	11.6	10.7	22.3	8.3	8.1	16.4	20	18.6	38.6
2023-24	11.4	10.5	21.9	8.5	8.2	16.7	19.9	18.5	38.4

स्रोत: स्कूल शिक्षा के आंकड़े, भारत सरकारय शैक्षिक आंकड़ें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारय स्कूल शिक्षा के आंकड़े, , मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारय और यू-डीआईएसई, एनयूपीईए।

इस तालिका में 2000-01 से 2023-24 तक अनुसूचित जाति (एससी) के बच्चों के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन का विवरण दिया गया है। प्रत्येक वर्ष में लड़कों, लड़कियों और कुल नामांकन के आंकड़े तीन श्रेणियों में विभाजित

हैं। उदाहरण के लिए, 2000–01 में कक्षा चतुर्थ (प्राथमिक) में लड़कों का नामांकन 12.1 लाख था, लड़कियों का नामांकन 9.1 लाख था, और कुल नामांकन 21.2 लाख था। इसी तरह, उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) और प्रारंभिक (कक्षा 1–8) में भी समान रूप से लड़कों और लड़कियों के लिए नामांकन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें लगातार वृद्धि देखी गई है। 2023–24 तक प्राथमिक शिक्षा में नामांकन 21.9 लाख, उच्च प्राथमिक में 16.7 लाख और प्रारंभिक शिक्षा में 38.4 लाख तक पहुंच गया।

निष्कर्ष

दलित महिलाओं की शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण औजार भी है। शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भरता, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह जाति और लिंग आधारित भेदभाव को चुनौती देने और तोड़ने की शक्ति देती है। शिक्षित दलित महिलाएँ अपने परिवार और समुदाय में परिवर्तन की अग्रदूत बनती हैं। वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं। शिक्षा से उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की समझ भी मिलती है। इससे वे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कर सकती हैं और नीतिगत बदलावों की वकालत कर सकती हैं। कुल मिलाकर, शिक्षा दलित महिलाओं को सशक्त बनाकर एक अधिक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है।

संदर्भ

- अय्यनार, एस. और भारद्वाज, आर. (2025)। दलित शैक्षणिक यात्राएँ: भारतीय उच्च शिक्षा में जाति-आधारित बहिष्कार का विश्लेषण। जर्नल ऑफ एजुकेशनल इनइक्वैलिटी, 34(2), 45–59।
- बैरवा, जी. (2016)। भारत में दलित महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर होना: चुनौतियों और बाधाओं की समीक्षा। दलित महिला सशक्तिकरण जर्नल, 6(1), 43–58।
- भंडारी, एन. (2019)। नेपाल में महिलाओं की उच्च शिक्षा में बाधाएँ: नीतियों और प्रथाओं की एक महत्वपूर्ण परीक्षा। जर्नल ऑफ वूमेन एजुकेशन इन साउथ एशिया, 14(1), 56–69।
- चुरियाना, आर. (2017)। भारत में दलित महिलाओं की शैक्षिक स्थिति: परिवर्तन, चुनौतियाँ और निरंतर संघर्ष। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 10(2), 15–27।
- दीन, एल. (2020)। दलितों की जातिगत कठोरता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति: रोजगार और शिक्षा में व्यवस्थित भेदभाव और चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ सोशल मोबिलिटी स्टडीज, 16(4), 88–102।
- कोमनपल्ली, आर., और राव, एम. (2021)। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जर्नल ऑफ कास्ट स्टडीज, 20(2), 113–126।
- नागपाल, पी. (2022)। जाति, वर्ग और लिंग अंतरसंबंध: दलित महिलाओं की शैक्षिक यात्रा और सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। लिंग और शिक्षा समीक्षा, 18(1), 45–59।